(178)

संख्या-611/2015/1635/69-1-15-38(अ0सं0-37)/2015

Budget-37
न0वि0-I-14/S/15 50%
14-10

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 07 जुलाई, 2015

विषय **वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1181/15/छ:/26/2012-13, दिनांक 23 जून, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत** वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-जौनपुर की न0पा0परि0 जौनपुर व शाहगंज की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित कुल 34 परियोजनाओं हेतु **रू0 404.68 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित,** उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि **रू0 202.34 लाख (रूपये दो करोड़ दो लाख चौतीस हजार मात्र)** की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमश: इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

क्रमशः.........

प्रा0सचिव/प्रा0सचिव
10/7/15
9/7/15

(151/FG)

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव तथा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
14. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

क्रमशः..........3

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक **"2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग तथा नाली आदि का निर्माण-00-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के **कार्यालय ज्ञाप** संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-611 /2015/1635(1)/69-1-15, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण जौनपुर ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 611 /2015/1635(1)/69-1-15-38(अ0सं0-37)/2015, दिनांक 07 जुलाई, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	जौनपुर	न0पा0परि0 जौनपुर	वार्ड संख्या-20 अबीरगढ टोला स्थित उमर कालोनी में नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	25.99	12.995
2.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-29 कटघरा के दक्षिणी ओर स्थित अंसारी बस्ती में दोनो तरफ नाली का निर्माण।	12.49	6.245
3.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-31 रौजा अर्जन में मल्हनी पड़ाव के सामने से चितरसारी रोड से होते हुये मंदिर तक नाली निमाण का कार्य।	7.81	3.905
4.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-31 रौजा अर्जन में बड़ी मस्जिद के पूर्वी गेट के बगल से वकील के मकान बगल से नाजिर के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निमाण का कार्य।	3.30	1.65
5.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-16 उर्दू बाजार के अल्पसंख्यक बस्ती में स्थित साई कालोनी में नाली एवं इण्टरलाकिंग निमाण का कार्य।	9.18	4.59
6.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-20 अबीरगढ टोला स्थित अल्पसंख्यक बस्ती के अजमेरी गली में दयाराम सभासद के घर से फूलचन्द साहू के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	4.22	2.11
7.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-22 ताड़तला वार्ड के दीवान शाह कबीर में सुहेल के घर से नदी की ओर जाने वाले रास्ते तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	3.54	1.77
8.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-30 चाचकपुर में मिश्रा भवन से मस्जिद तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	16.00	8.00
9.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-30 चाचकपुर में डा0 जमाल के मकान से मुद्दन के मकान तक नाली निर्माण का कार्य।	6.25	3.125
10.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-26 मुफ्ती मोहल्ला में सरकारी प्रा0 पा0 के	34.91	17.455

-2-

			पीछे नई बस्ती की (कौव्वालों वाली गली) दोनों गलियों में नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।		
11.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-26 मुफ्ती मोहल्ला में स्थित दफाली टोला (कल्बे आबिद खां) तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	6.54	3.27
12.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-26 मुफ्ती मोहल्ला में नई बस्ती में स्थित दफाली टोला से गोमती नदी नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	7.86	3.93
13.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-26 मुफ्ती मोहल्ला के खालिसपुर छत्तातर क्षेत्र में स्थित मोहम्मद साहिद तकी के मकान से पप्पू कसाई के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	5.83	2.915
14.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-26 मुफ्ती मोहल्ला में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय के आगे जाने पर नशीबुल के घर के सामने नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	8.62	4.31
15.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-26 मुफ्ती मोहल्ला के खालिसपुर छत्तातर क्षेत्र में स्थित अकबर के मकान से मकसूद हसन के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	7.22	3.61
16.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-26 मुफ्ती मोहल्ला में स्थित सरकारी प्रा0 पा0 के आगे क्षमापति पाण्डेय के घर से नई कालोनी तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	12.03	6.015
17.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-23 पान दरीबा में बाजार भुआ में स्थित चार अंगुल मस्जिद के सामने वाले रास्ते पर हाजी हसन जफर के मकान से एन0एच0 खान के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	20.03	10.015
18.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-26 मुफ्ती मोहल्ला में मुल्ला टोला में मोहम्मद अफजाल के सामने पिच रोड पर नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	19.78	9.89
19.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-23 पान दरीबा में अल्पसंख्यक बस्ती में ज्योति ब्यूटी पार्लर के सामने से पत्थर चौक गली अफसर के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	21.64	10.82
20.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-26 मुफ्ती मोहल्ला में सज्जाद कालोनी से आगे नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	16.67	8.335
21.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-24 मीरमस्त में साजिदा गर्ल्स इण्टर कालेज के सामने शान टेलर्स के बगल से उत्तर की ओर जाने वाली	13.42	6.71

-3-

			गली में अन्दर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।		
22.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-24 मीरमस्त में स्लाटर हाउस (पशु वधशाला) के पास निसार बावर्ची के मकान से हफ़ीज के मकान होते हुये नगीना बेगम के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	7.40	3.70
23.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-26 मुफ्ती मोहल्ला में सज्जाद कालोनी (खालिसपुर रोड पर) इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	6.98	3.49
24.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-26 मुफ्ती मोहल्ला के खालिसपुर छत्तातर क्षेत्र में स्थित इस्तियाक हुसैन के घर के पास पूर्वी एंव उत्तरी दोनो गली में अन्तिम द्वार तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	11.51	5.755
25.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-28 मखदूम शाह अढ़न में ज़लालूद्दीन सूट सेन्टर के आगे गली में नाली एव इण्टरलाकिंग का कार्य।	22.79	11.395
26.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-24 मीरमस्त में नवाब यूसुफ रोड पर स्थित नवाब साहब के अहाता मार्ग पर पप्पू पान की दुकान से लेकर अन्दर नीम के पेड़ तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	14.61	7.305
27.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-24 मीरमस्त के रिजवी खां मोहल्ले में स्थित डायट आफिस के सामने स्थित मौर्या फोटोस्टेट के बगल से गली में इण्टरलाकिंग का कार्य।	0.72	0.36
28.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-25 जहाँगीराबाद के उमरपुर में असलम खां के मकान के आगे अलीम के घर से रेशमा के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	3.74	1.87
29.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-25 जहाँगीराबाद के उमरपुर मुख्यमार्ग से ईदगाह के बगल से असलम खां के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	10.20	5.10
30.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-25 जहाँगीराबाद कमें गिरजाशंकर के मकान से मोहम्मद चप्पल वाले के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	3.86	1.93
31.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-15 चक प्यारे अली के अल्पसंख्यक बस्ती बलुआघाट में सकलेन जैदी के मकान से पत्थर वाले मार्ग पर नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	14.34	7.17
32.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-24 मीरमस्त में मो0 मोइन उसमान नानबाई के	5.28	2.64

			मकान से बगल दक्षिणकी ओर स्थित गली मे अन्दर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।		
33.	तदैव	न0पा0परि0 शाहगंज	वार्ड संख्या-05 भादी (अलीगंज) में डा0 फिरोज के मकान से सकील के मकान होते हुये जमील के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	19.96	9.98
34.	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-05 भादी (अलीगंज) में डा0 फिरोज के मकान से मो0 खालिद के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	19.96	9.98
	योग			404.68	202.34

(रूपये दो करोड़ दो लाख चौतीस हजार मात्र)।

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in